संख्या-90/2021/2343 ई-2/तेरह-2021- 221673

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2021**

विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., खम्भारखेड़ा आसवनी, जनपद लखीमपुर खीरी की क्षमता अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-78/दो-प्रा.डी.-85/खम्भारखेडा ,दिनांक 01-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव /संस्तुति पर सम्यक विचरोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., खम्भारखेड़ा आसवनी, जनपद लखीमपुर खीरी की 160 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा विस्तारित क्षमता का प्रयोग किये जाने के पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग ,केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तो /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफेक्चारिंग प्रैक्टिस (G.M.P.) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य किया जायेगा।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।